क्रमांक 3784-3-एस-74/

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मंडल, सभी उपायुक्त तथा उपमंडल अधिकारी ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़, 8 अक्तूबर, 1974 ।

विषय : वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज प्रतिकूल विचार व्यक्त करने वाले पत्र पर ऐसे विचारों के विरुद्ध किए गए अभिवेदन व उस पर लिए गए निर्णय का वर्णन ।

महोदय,

गोपनीय रिपोर्टों सम्बन्धी समेकित हिदायतों के पैरा 10 (बी) तथा 13 (1) (बी.) में यह कहा गया है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियां सम्बन्धित अधिकारी को तुरन्त व्यक्त की जानी चाहिए तथा प्रतिकूल विचार व्यक्त करने वाले पत्र की एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी की चरित्र पंजी में रखी जानी चाहिए । कर्मचारियों की पदोन्नति तथा अन्य सेवा मामलों पर निर्णय लेते समय चरित्र पंजियों के आधार पर रिकार्ड का मूल्यांकन करने में कई बार यह कठिनाई महसूस की जाती है कि यह पता नहीं लगता जो प्रतिकूल विचार किसी कर्मचारी को व्यक्त किए गए हैं क्या उनके खिलाफ कोई अभिवेदन लम्बित है या नहीं ।

2. सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि जो प्रतिकूल विचार व्यक्त किए जाएं यदि उनके खिलाफ कोई अभिवेदन प्राप्त हो तो उस का जिक्र प्रतिकूल विचार करने वाले पत्र पर कर दिया जाए कि "अभिवेदन पत्र दिनांक----------लम्बित है" और जब उस अभिवेदन पर फैसला हो जाए तो उस फसले का जिक्र (यदि अभिवेदन स्वीकार न किया जाए) भी उसी पत्र पर कर दिया जाए । यदि प्रतिकूल विचार हटाने का फैसला लिया जाता है तब तो उक्त पत्र तथा प्रतिकूल विचार मूल रिपोर्ट से ही हट जाएंगे । इस प्रकार कार्यवाही से रिकार्ड के मूल्यांकन करने वाली एथोरिटी के ध्यान में पूरी स्थिति आ जाएगी । कृपया इसकी पावती भेजें ।

भवदीय,

उप-सचिव राजनैतिक एवं सेवा

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक एक प्रति वित्तायुक्त हरियाणा तथा हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है ।